(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 499-तीन/2008 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 11-3-2008- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 147/06-07 अपील

1- गणेश प्रसाद 2- वेदप्रकाश
3- उमाशॅकर 4- राजेन्द्रकुमार
सभी पुत्रगण स्व. कामताप्रसाद
निवासीगण करैरा जिला शिवपुरी -----आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री स्व. कामताप्रसाद
पत्नि एम0के0शर्मा निवासी निम्बालकर
की गोठ नया बाजार लश्कर ग्वालियर ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री मुकेश भार्गव)

आ दे ष

(आज दिनांक 5- 12-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 147/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-3-08 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राज. संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्व.कामताप्रसाद के नाम कस्वा करैरा में भूमि सर्वे क्रमांक 1759/2 एंव 1761/2 हिस्सा 1/2 तथा लुहारपुरा करैरा में रकबा 150 वीघा भूमि हिस्सा 1/2 थी, जिनकी मृत्यु उपरांत बसीयत के आधार पर आवेदकगण द्वारा नामांत्रण की मांग की गर्द। तहसीलदार करैरा ने प्र0क0 90/05-06 अ-6 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 26-8-2006 से मृतक वारिस (आवेदकगण एंव अनावेदक) का समान भाग पर नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने प्र0क0 176/2005-06

अपील में पारित आदेश दिनांक 30-10-06 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार करैरा का आदेश दिनांक 26-8-2006 निरस्त कर दिया। अनावेदक ने इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 147/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-3-08 से अनुविभागीय अधिकारी करैरा का आदेश दिनांक 30-10-06 निरस्त करते हुये तहसीलदार करैरा के आदेश दिनांक 26-8-2006 को यथावत् रखा। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों, उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार करैरा ने आदेश दिनांक 26-8-2006 से मृतक भूमिस्वामी कामताप्रसाद की भूमि पर उसके सभी बैध वारिस आवेदकगण एंव अनावेदक का समान भाग पर नामांत्रण किया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने बसीयत के आधार पर अपील स्वीकार कर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 11-3-08 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के पद 4 में विवेचित किया है कि स्वर्गीय कामताप्रसाद को भूमि ज्वालाप्रसाद के फोत होने पर वारिस की हैसियत से प्राप्त हुई है अर्थात आवेदकगण एंव अनावेदक के लिये वादग्रस्त भूमि पैत्रिक संपत्ति है जो व्यवहार न्यायालय में प्रचलित वाद क्रमांक 277 ए/80 ई.दी. सुखदेव प्रसाद बनाम हरप्रसाद आदि में पारित आदेश दिनांक 5-8-80 के आधार पर प्रमाणित है । विचार योग्य है कि पैत्रिक संपत्ति में न्यायगमन किस प्रकार होगा ?

1. **श्रीमती दीपो बनाम बसन सिंह A I R 1983 S.C. 846 का न्याय दृष्टांत है कि वह अंश जो कि सहदायिक पैतृक संपत्ति के बटवारे में प्राप्त करता है उसकी पैतृक संपत्ति होती है वे इसमें जन्म से हित प्राप्त करते हैं , चाहे बे बटवारे के समय अस्तित्वयुक्त हों अथवा वाद में उत्पन्न हुए हों।**

2. **लक्ष्मण बनाम कन्हैयालाल 1997 राजस्व निर्णय 30 म0प्र0 का न्याय दृष्टांत है कि ' पुत्री की विरासत ' मेन्स की हिन्दू विधि को संदर्भित किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 161, 530 व 562 का निर्वचन करते हुये स्पष्ट किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि पुत्री की विरासत को यह निरर्हित करता है।**

उक्त के प्रकाश में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 11-3-08 के पद 7 में निकाला गया निष्कर्ष सही प्रतीत होता है कि 1995 (2) म0प्र0वीकली नोट 233 में माननीय उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि संपत्ति में आजीवन हित रखने वाला व्यक्ति बिल के व्दारा अन्यसंक्रमण नहीं किया जा सकता। उभय पक्ष एक ही पिता की संतान है किन्तु बसीयत के व्दारा मात्र चार पुत्रों को ही संपत्ति दी गई है निगरानीकर्ता पुत्री पुष्पा को बिल के व्दारा उसके हक से बंचित किया गया है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इन सभी तथ्यों के प्रकाश में निगरानी सारहीन है यदि आवेदकगण बसीयत के आधार पर मृत कामप्रसाद की संपूर्ण संपत्ति में स्वत्व चाहते हैं तब बसीयत के आधार पर स्वत्व का विनिश्चय मान. व्यवहार न्यायालय से कराने के लिये स्वतंत्र है। विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 147/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-3-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर